फर्द अहकाम

अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम – गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर बनाम गंगापुर सिटी

न मुकदमा किशोर नं० लाला उर्फ लाला वगैरा सन् 2015

दावा 76

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1.7.2015 यह दावा किशोर पुत्र कजोड़्या जाति बैरवा निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी की ओर से श्री रामदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट ने हमारे समक्ष पेश किया। वादी के वकील को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिए नोटिस की जावे। पत्रावली दिनांक 9.7.2015 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	9-7-15 वकील वादी उप० हैं। पत्रावली दि० 14-7-15 को लोक अदालत उदेईकलां में पेश हो।	
	14-7-2015 पत्रावली आज लोक अदालत में उदेईकलां शिविर में पेश हुई। वादी किशोर, प्रतिवादी लाला उर्फ लाला, धाज्या, कल्याण उपस्थित हैं। उपस्थित पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि वादी के दावे में कुछ तकनीकि कमी रह गई है। अतः वादी दावा वापस ले रहा है। वादी को दावा वापिस लेने व नवीन दावा पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। प्रस्तुत राजीनामे पर पक्षकारों को सुना गया। राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादी को दावा वापिस लेने व नवीन दावा पेश करने की अनुमति दी जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	नि. लाला नि. धाज्या नि. किशोर नि. कल्याण
	(हस्ताक्षर) (गंगाप्रसाद गुप्ता) सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी; (हस्ताक्षर) (रवि कुमार शर्मा) सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी; (हस्ताक्षर) (मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर	

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) उदेईकलां
पीठासीन अधिकारी–: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

किशोर पुत्र कजोड्या, बैरवा निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी ––वादी

बनाम

1. बाला उर्फ लाला पुत्र कजोड, बैरवा निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. उगन्ती बेवा रामप्रसाद, बैरवा निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
3. गुड्डी पुत्री रामप्रसाद, बैरवा निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
4. छाज्या पुत्र घूडया, बैरवा निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
5. कल्याण पुत्र रामपाल, बैरवा निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
6. तेजसिंह पुत्र दलगंजी, बलाई निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
7. नत्थूलाल पुत्र ग्यारसीराम, कोली निवासी सपेरा बस्ती गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी
8. मैनेजर, बैंक आफ बडौदा शाखा उदेईकलां
9. लैन्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ––प्रतिवादीगण

दावा विभाजन भूमि

मुकदमा नं. – 76/2015

वादी की ओर से वादी किशोर व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी बाला उर्फ लाला व अन्य की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 14.7.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिकी दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी को वाद वापिस लेने की एवं नवीन दावा पेश करने की अनुमति दी जाती है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 14.7.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.)

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	